न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रेमाराम परमार आर.ए.एस.

अपील संख्या 209/2016

रतनाराम पुत्र शोभाराम जाति मेघवाल निवासी भागसर तहसील श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर । – अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार श्रीविजयनगर। –रेस्पोंडेंट

अपील अन्तर्गत धारा 75 रा.भू.अ. 1956

विरूद्ध आदेश अति.कलेक्टर सूरतगढ

दिनांक 03.05.2001

उपस्थितः–

श्री भगवानदत शर्मा अभिभाक अपीलार्थी

श्री श्याम सुन्दर चांडक राजकीय अधिवक्ता

निर्णय दिनांक 11.12.2017

अपीलार्थी द्वारा यह अपील अति.कलेक्टर सूरतगढ के आदेश दिनांक 03.05.2001 के विरूद्ध पेश की है। उक्त आदेश के द्वारा प्रार्थी/अपीलांट द्वारा चक भागसर के मु.न. 110/10 की 25 बीघा भूमि के आवंटन का प्रार्थना पत्र इस आधार पर खारिज कर दिया कि उक्त भूमि विशेष आवंटन हेतु आरक्षित है।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपनी बहस में मुख्य रूप से अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि विवादित भूमि पर अपीलांट का कब्जा पिछले 30–40 वर्षो से चला आ रहा है एवं उक्त भूमि उसे आरजी काश्त पर आवंटित थी। अधी.न्यायालय के बिना किसी आधार के प्रा.पत्र खारिज कर दिया । अपीलाधीन आदेश की जानकारी होने पर नकल प्राप्त कर बिना किसी देरी के

11/12/17

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

अपील पेश की दी जिसके लिये मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया है। अतः अपील पेश करने में हुए विलम्ब को माफ करते हुए अपील अन्दर मियाद शुमार की जाकर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विवादित भूमि का आवंटन अपीलांट को करने के आदेश दिये जावें ।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि विवादित भूमि विशेष आवंटन हेतु आरक्षित होने पर उसका अन्य नियमों के तहत आवंटन नहीं किया जा सकता था। ऐसी स्थिति में अधी.न्यायालय ने प्रार्थना पत्र खारिज करने में कोई भूल नहीं की है। अतः अपील खारिज की जावें ।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अपील अधी.न्यायालय अति.कलक्टर सूरतगढ़ के निर्णय दिनांक 03.05.2001 के विरूद्ध पेश की है जिसमें अपीलांट की भूमि सामान्य आवंटन में विशिष्ट आवंटन के लिए आरक्षित होने से पुख्ता आवंटन का प्रार्थना पत्र खारिज किया है जबकि विवादित आराजी गजट में Notified for Special allotment से denotify न होकर सामान्य आवंटन योग्य नहीं होने से अधी.न्यायालय का निर्णय अपास्त करने का अनुतोष चाहा है।

अपीलांट द्वारा यह अपील आदेश दिनांक 03.05.2001 के विरूद्ध दिनांक 26.09.2016 को पेश की है जिसके लिये प्रा.पत्र दफा 5 मियाद अधि. में अपीलाधीन आदेश की जानकारी दिनांक 19.09.2016 को होना बताया है जबकि अपीलाधीन आदेश की जानकारी जिस दिन अपीलाधीन आदेश पारित किया गया था उसी दिन अपीलांट को हो गई थी क्योंकि आदेशिका दिनांक 03.05.2001 पर अपीलांट के अगूंठा निशान अंकित है जिसका खंडन अपीलांट ने नहीं किया है। इस प्रकार अपील स्पष्ट. रूप से मियाद बाहर होने से मियाद के बिन्दु पर खरिज किये जाने योग्य है।

अधी.न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। चूंकि अपीलांट का अस्थाई काश्त से स्थाई आवंटन का प्रार्थना पत्र इसलिए खारिज हुआ है क्योंकि विवादित आराजी का गजट में विशेष आवंटन के लिए आरक्षण किया गया है जो

11/12/17
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

राज्य सरकार द्वारा किये जाने से अपीलांट को अपील में कोई अनुतोष (Relief) नहीं मिल सकती। अतः अपील मियाद एवं गुणावगुण दोनों के आधार पर खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 11.12.2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रेमाराम परमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर